


राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : एफ.18(133)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015/9679-9756 दिनांक : 29.10.15

--: कार्यालय आदेश :-

आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक S-18014/14/2013/DPAP दिनांक 15.05.2014 के द्वारा 10% फ्लेक्सी फण्ड का प्रावधान किया गया है एवं पत्रांक F No-55(3)PF-II/2011 दिनांक 06.01.2014 द्वारा फ्लेक्सी फण्ड के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई। जिसके अनुसरण में फ्लेक्सी फण्ड का उपयोग विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एसएलसीसी से अनुमोदन उपरान्त किया जाता रहा है। प्रक्रिया को सरल करने एवं जलग्रहण विकास मद में निर्धारित प्रतिशत से अधिक आवश्यकता एवं उपयोगिता के मध्येनजर समस्त 10% फ्लेक्सी फण्ड पीआईए को हस्तान्तरित कर इसका उपयोग उसी परियोजना में निम्नानुसार किया जाना निश्चित किया गया :-

- (i) "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अन्तर्गत चयनित गांवों में, जिस गांव में जलग्रहण विकास कार्यों की अधिक आवश्यकता है, परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर की स्वीकृति उपरान्त जलग्रहण विकास कार्य करवाये जा सकेंगे।
- (ii) आईडब्ल्यूएमपी की अन्य स्वीकृत परियोजनाओं में भी 10% फ्लेक्सी फण्ड का उपयोग जलग्रहण विकास कार्यों हेतु परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर की स्वीकृति उपरान्त किया जावेगा।
- (ii) परियोजना क्षेत्र में अभिनव जलग्रहण विकास कार्यों हेतु कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर से अनुमोदन उपरान्त व्यय किया जा सकेगा।

फ्लेक्सी फण्ड के उपयोग के निर्देश मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एसएलसीसी, राजस्थान के स्तर से अनुमोदित है।


(अनुराग भारद्वाज)
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(133)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015/9679-9756 दिनांक : 29.10.15
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर जिला (समस्त)।
7. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)।
11. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।


निदेशक